

हुकम
में जारी

हुकम या कायपाल

में जारी हुए

पत्रावली पेश हुई। वकील उमर पस (पुनः)
 तहसीलदार बाड़ी से कुरैजात प्राप्त। अतः
 दावा तहसीलदार बाड़ी से प्राप्त कुरैजात
 के आधार पर अन्तिम डि.डी. किया जाता
 है डि.डी. एवं निर्णय प्रथम से लिखाया
 जाकर शामिल पत्रावली किया गया।
 पत्रावली फंसल सुमा के नम्बर से
 कम ही जाकर काबिल दफ्तर् हो।

①

उपखण्डाधिकारी
 बाड़ी (धौलपुर) राज